अंकित बनाम हरियाणा राज्य
(विकास बहल जे .)

विकास बहल जे**.** के समक्ष

अंकित **-** याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य **-** प्रतिवादी

CRR No. 1151 of 1221

08 अक्टूबर, 2021

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 – S.12 – आईपीसी धारा 302 के तहत अपराध के लिए किशोर का नाम एफआईआर में नहीं है - सह–दोषी द्वारा नामित - जमानत खारिज करने वाले विवादित आदेश- सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट का हवाला दिए बिना - जमानत की अनुमति.

यह माना गया कि, दोनों विवादित आदेशों में, सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट का कोई उल्लेख नहीं दिया गया है और यहां तक कि इसका उल्लेख दिए बिना भी उक्त रिपोर्ट, निचली अदालतें, केवल अनुमानों के आधार पर और अनुमानों के अनुसार के आधार पर, याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करना खतरनाक हो सकता है। उक्त टिप्पणियों से मामला अधिनियम की खंड 12 के तहत निर्धारित अपवादों के दायरे में नहीं आएगा।

(पैरा 11)

रोहित मित्तल, याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता.

मनीष डडवाल, ए. ए. जी. हरियाणा।

विजय सांगवान, अधिवक्ता, शिकायतकर्ता की ओर से।

विकास बहल**,** जे**. (**मौखिक**)**

(1) वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण में प्रार्थना प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड नारनौल (जिसे इसके बाद "बोर्ड" के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.09.2020 को रद्द करने के लिए है. जिसके अनुसार याचिकाकर्ता दवारा दायर नियमित जमानत याचिका जिसकी एफ.आई.आर संख्या 100 दिनांक 26.02.2020 है, जो पुलिस स्टेशन मोहिंदरगढ़ में भा.दं.सं. सी. की खंड 34 के तहत दर्ज की गई है, को खारिज कर दिया गया है और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नारनौल द्वारा पारित दिनांक 7.10.2020 के आदेश को रद्द करने के लिए है, जिसे भी खारिज कर दिया गया है।

(2) अभियोजन पक्ष का मामला संक्षेप में यह है कि शिकायतकर्ता के भतीजे की अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा हत्या की गई थी। इसके बाद, एक संजीव को गिरफ्तार किया गया और आरोप के अनुसार, उक्त संजीव ने शिकायतकर्ता के भतीजे कृष्ण को ईंट से चोट पहुंचाई थी, जिसकी उक्त चोट के कारण मृत्यु हो गई थी। उपरोक्त संजीव ने अपने इन्क्शाफ बयान में कहा है कि वर्तमान याचिकाकर्ता घटना की तारीख पर मौजूद था। याचिकाकर्ता 29.2.2020 के बाद से हिरासत में है और मामले में चालान 7.9.2020 पर प्रस्तुत किया गया है और 27.1.2021 को आरोप तय किए गए हैं।जिस में 27 गवाह हैं जिनमें से किसी से भी पूछताछ नहीं की गई है।

(3) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने कहा है कि याचिकाकर्ता का नाम फ.आई.आर में नहीं था और याचिकाकर्ता को केवल सह-दोषी अर्थात् संजीव द्वारा दिए गए इन्क्शाफ बयान के आधार पर शामिल करने की मांग की गई है और याचिकाकर्ता से कोई वसूली नहीं हुई थी। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन पक्ष के संस्करण के अनुसार भी, याचिकाकर्ता को किसी भी प्रत्यक्ष कार्य के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है और ईंट से कथित चोट सह-आरोपी संजीव द्वारा दी गई है। आगे यह कहा गया है कि एफ.एस.एल रिपोर्ट के अनुसार, जो कथित ईंट बरामद की गई है, उसमें खून के कोई दाग नहीं हैं। आगे यह कहा गया है कि बोर्ड के साथ-साथ न्यायालय ने बाल संरक्षण अधिनियम, 2015 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की खंड 12 के प्रावधानों पर विचार नहीं किया है और आवेदन के साथ-साथ याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील को भी अनुमानों और अनुमानों के आधार पर खारिज कर दिया है। इसके अलावा, यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता किसी अन्य मामले में शामिल नहीं है। याचिकाकर्ता पहले ही दी गई कुल सजा में से 1 वर्ष 7 महीने और 8 दिन से अधिक समय से गुजार चुका है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अनुरोध किया है कि वर्तमान याचिका को अनुमत किया जाए और याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाए।

(4) याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह तर्क दिया गया है कि विवादित आदेश के अवलोकन से पता चलेगा कि विवादित आदेशों में किसी भी सामाजिक पृष्ठभूमि की रिपोर्ट का उल्लेख नहीं किया गया है या उन पर भरोसा नहीं किया गया है और केवल अनुमानों और अनुमानों के आधार पर पारित किया गया हैं। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इस अदालत के तीन फैसलों पर भी भरोसा व्यक्त किया है जो की CRR-2201-2019, निर्णय तिथि 22.09.2020, जिसका शीर्षक “प्रभकीरत सिंह @ पारस बनाम पंजाब राज्य”; CRR-1019-2020, निर्णय तिथि 25.03.2021 जिसका शीर्षक “गुरकीरत @ गोरा बनाम हरियाणा राज्य” और CRR-233-2021 निर्णय तिथि 02.06.2021, जिसका शीर्षक विष्णु बनाम हरियाणा राज्य है। इस प्रकार, उठाई गई

दलीलों और निर्णयों के आधार पर, यह प्रार्थना की गई है कि विवादित आदेशों को रद्द कर दिया जाए और याचिकाकर्ता को नियमित जमानत पर रिहा किया जाए।

(5) इसके विपरीत राज्य के वकील के साथ-साथ शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि बोर्ड/निचली अदालत द्वारा पारित आदेश विस्तृत हैं और उन्होंने मामले के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए और इस प्रकार, वर्तमान पुनरीक्षण याचिका खारिज की जानी चाहिए। यह आगे कहा गया है कि वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता द्वारा एक जघन्य अपराध किया गया है और इस प्रकार, वह जमानत की रियायत का हकदार नहीं है। ए.एस.आई सुशील कुमार के निर्देश पर राज्य के विद्वान वकील द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता से मोटरसाइकिल के साथ-साथ ईंट के चार टुकड़े बरामद किए गए हैं।

(6) इस न्यायालय ने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है और यह राय है कि वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को अनुमति दी जानी चाहिए और याचिकाकर्ता जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

(7) यह विवाद में नहीं है कि याचिकाकर्ता का नाम एफ.आई.आर में नहीं है। याचिकाकर्ता को किसी भी प्रत्यक्ष कार्य के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है। इसके अलावा, वर्तमान मामले में संजीव को कथित चोट लगी है जो की उसी ईंट के से लगी है और याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के संस्करण के अनुसार और यहां तक कि एफ.एसए.ल रिपोर्ट के अनुसार, ईंट पर कोई खून का धब्बा नहीं है। याचिकाकर्ता को केवल सह-दोषी संजीव द्वारा दिए गए इन्क्शाफ बयान के आधार पर शामिल किया गया है। याचिकाकर्ता 29.02.2020 से हिरासत में है और मामले में चालान 7.9.2020 पर प्रस्तुत किया गया है और 27.1.2021 पर आरोप तय किए गए हैं। जिसमें 27 गवाह हैं, जिनमें से किसी से भी पूछताछ नहीं की गई है। इस प्रकार, मुकदमे को समाप्त होने में काफी समय लगने की संभावना है। यह आगे स्पष्ट है कि वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता एक किशोर है और उसकी जमानत याचिका अधिनियम की खंड 12 के प्रावधानों द्वारा शासित है। अधिनियम की खंड 12 यहाँ नीचे पुनः प्रस्तुत की गई हैः-

> "12. — (1) जब कोई ऐसा व्यक्ति, जो जमानतीय या अजमानतीय अपराध का अभियुक्त है और दृश्यमान रूप में किशोर है, गिरफ्तार या निरुद्ध किया जाता है अथवा बोर्ड के समक्ष उपसंजात होता है या लाया जाता है तब दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, उस व्यक्ति को प्रतिभू सहित या रहित जमानत पर छोड़ दिया जाएगा,। या किसी परिवीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन या किसी उपयुक्त संस्था या किसी उपयुक्त व्यक्ति की देखरेख के अधीन रखा जाएगा। किन्तु इस प्रकार

उसे तब नहीं छोड़ा जाएगा जब यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार प्रतीत होते हैं कि उसके ऐसे छोड़े जाने से यह संभाव्य है कि उसका संसर्ग किसी ज्ञात अपराधी से होगा या वह नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक रूप से खतरे में पड़ जाएगा या उसके छोड़े जाने से न्याय के उद्देश्य विफल होंगे। और बोर्ड जमानत से इनकार करने के कारणों को रिकॉर्ड करेगा जिन परिस्थितियों के कारण ऐसा निर्णय लेना पड़ा।

XXX XXX XXX "

(8) आगे बढ़ने से पहले, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है, उनका संदर्भ देना उपयुक्त होगा। CRR.-1019-2020 गुरकीरत @ गोरा बनाम हरियाणा राज्य में पारित निर्णय का प्रासंगिक हिस्सा नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

"इस पुनरीक्षण याचिका में अनुरोध विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दिनांक 31.05.2020 के आदेश के साथ-साथ अपील न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 01.07.2020 के आदेश को रद्द करने के लिए है, जिसमें याचिकाकर्ता का नियमित जमानत आवेदन भारतीय दंड संहिता 1860 (संक्षेप में 'IPC') की खंड 302,323, 341 मय 34 और 506 के तहत पुलिस स्टेशन तरावड़ी, जिला करनाल दर्ज किया गया था, जिसे खारिज कर दिया गया था।

मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि एफ.आई.आर आर. लखविंदर सिंह द्वारा दी गई शिकायत पर दर्ज की गई थी कि वह मजदूरी का काम कर रहा है और उसके दो बच्चे हैं।उसका बेटा अस्पी @हैप्पी भी शिकायतकर्ता के साथ मजदूरी का काम कर रहा था।लगभग 1 साल पहले, याचिकाकर्ता के पिता कुलविंदर सिंह ने शिकायतकर्ता के बेटे पर आरोप लगाया है कि उसने अपनी भतीजी को छेड़ा था और उसके बाद, एक पंचायत बुलाई गई थी और मामले में समझौता किया गया था, लेकिन आरोपी को उसके बेटे अस्पी @ हैप्पी के खिलाफ शिकायत थी। 13.03.2020 पर लगभग 07:00 PM बजे, उनके बेटे अस्पी @ हैप्पी अपनी मां हरजिंदर कौर और शिकायतकर्ता के भतीजे गुरप्रीत सिंह के साथ पंजीकरण वाली मोटरसाइकिल पर हरजिंदर कौर के लिए दवा लेने गए हैं और जब वे सांभी मोड़ पर पहुंचे तो कुलविंदर सिंह, गुरकीरत @गोरा (वर्तमान याचिकाकर्ता) ने दो अन्य व्यक्तियों करनैल सिंह और बलकार सिंह के साथ उन्हें रास्ते में खड़ा कर दिया और उसके बाद, बलकार सिंह, जिसके हाथ में बिंडा था, ने शिकायतकर्ता बेटे की छाती पर उसी से प्रहार किया।

फिर, कुलविंदर सिंह ने शिकायतकर्ता के बेटे की पीठ पर एक और बिंडा प्रहार किया, करनैल सिंह ने शिकायतकर्ता के बेटे की छाती पर बिंडा प्रहार किया और याचिकाकर्ता -गुरकिरत उर्फ गोरा ने शिकायतकर्ता के बेटे की छाती और पीठ पर लोहे का पाइप प्रहार किया। इसके बाद, सभी हमलावर मौके से भाग गए और घायल को अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी कानूनी रूप से चिकित्सकीय जांच की गई और बाद में, उसकी 14.03.2020 को मृत्यु हो गई।

x x x x x x x x x

याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि 2000 के अधिनियम की खंड 12 के प्रावधानों के अनुसार, विधायिका का इरादा किशोर को अपराध की प्रकृति या गंभीरता के बावजूद जमानत देना है, जो कथित रूप से उसके द्वारा किया गया है और इसे केवल उन मामलों में अस्वीकार किया जा सकता है जहां यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि किशोर की रिहाई से उसे किसी ज्ञात अपराधी के संघ में लाने या उसे नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में डालने की संभावना है या उसकी रिहाई न्याय के उद्देश्यों को विफल कर देगी।

x x x x x x x x x

जांच अधिकारी के शपथ पत्र के माध्यम से जवाब रिकॉर्ड में है और जवाब के अनुसार, यह कहा गया है कि सत्यापन पर, यह पाया गया कि याचिकाकर्ता के साथ-साथ उसके पिता ने पीड़ित को चोट पहुंचाई है, जबकि दो व्यक्तियों करनैल सिंह और बलकार सिंह, जिनका नाम प्राथमिकी में है, को निर्दोष पाया गया।

राज्य के वकील ने मृतक की मृत्यु के कारण के बारे में राय दर्ज की है, जिसे निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

“इस मामले में मृत्यु के कारण के बारे में राय पहले ही 20.10.2020 पर दी जा चुकी है कि "इस मामले में मृत्यु का कारण चोट और इसकी जटिलताएं हैं"।हमारी राय में, यह पॉली-ट्रॉमा का मामला था जिसमें गंभीर तीव्र श्वसन संकट सिंड्रोम और ग्लासगो कोमा स्केल E1M1V1 के साथ सदमा था जैसा कि अस्पताल के रिकॉर्ड में बताया गया है और शव परीक्षण और मृतक के विसरा की हिस्टोपैथोलॉजिकल परीक्षा के दौरान देखे गए निष्कर्षों की पुष्टि

अस्पताल के रिकॉर्ड से हुई है। हमारी राय में चोटों में एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम और कार्डियक अरेस्ट थे।"

x x x x x x xx x

दूसरी ओर, शिकायतकर्ता के वकील ने तर्क दिया है कि एफ.आई.आर के अनुसार, शिकायतकर्ता के परिवार और याचिकाकर्ता के पिता के बीच कुलविंदर सिंह की बेटी यानी वर्तमान याचिकाकर्ता की बहन-गुरकिरत @गोरा को घटना से लगभग 1 साल पहले मृतक अस्पी @हैप्पी द्वारा चिढ़ाने के कारण दुश्मनी थी और पंचायत में मामले में समझौता किया गया था। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि याचिकाकर्ता की आयु 17 वर्ष से अधिक है, इसलिए उसे "वयस्क" माना जाना चाहिए और इसलिए, उसकी जमानत याचिका को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।

x x x x x x x x

तदनुसार, वर्तमान पुनरीक्षण याचिका की अनुमति दी जाती है, माननीय मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.05.2020 के साथ-साथ अपील न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.07.2020 को रद्द किया जाता है और याचिकाकर्ता को निचली अदालत/ड्यूटी मजिस्ट्रेट/इलाखा मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के लिए उसकी जमानत/मुचलका बांड प्रस्तुत करने के अधीन जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।"

(9) उपर्युक्त मामले के अवलोकन से पता चलता है कि जहां याचिकाकर्ता (गुरकिरत @गोरा) के खिलाफ आरोप था कि उसने सीने पर लोहे की नली से प्रहार किया था और शिकायतकर्ता के बेटे की पीठ पर, याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा कर दिया गया था।

(10) इस न्यायालय की एक समन्वित पीठ ने विष्णु के मामले (उपरोक्त) में भी जमानत दे दी, जिसमें आरोप था कि याचिकाकर्ता ने मृतक के सिर पर चोट पहुंचाई थी और उसमें याचिकाकर्ता के खून से सना हुआ लकड़ी का डंडा बरामद किया गया था। उक्त निर्णय के प्रासंगिक भाग को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

"याचिकाकर्ता, जो कानून के साथ टकराव में एक बच्चा है, ने अपने पिता के माध्यम से तत्काल याचिका दायर की है, जिसमें दिनांक 15.01.2021 के आदेश, संग्लक पी-2 को चुनौती दी गई है, जिसमें किशोर न्यायाधीश (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (संक्षेप में "अधिनियम") की

अंकित बनाम हरियाणा राज्य
(विकास बहल जे .)

खंड 12 के तहत जमानत देने के लिए आवेदन को प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्यायाधीश बोर्ड, रोहतक द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है और दिनांक 02.02.2021 के आदेश द्वारा पारित किया गया है। रोहतक के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने कहा कि उक्त आदेश के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया गया है।

संक्षेप में तथ्य यह है कि राजेंद्र की शिकायत के आधार पर, भारतीय दंड संहिता की खंड 201, 302 ,34 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की खंड 3 (2) (vi) (संक्षेप में "अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम") के तहत इस आरोप पर एफ.आई.आर दर्ज की गई थी कि अमित उर्फ नीतू और मौजूदा याचिकाकर्ता ने उनके बेटे सोमबीर की हत्या की है। जाँच के दौरान, याचिकाकर्ता और सह-दोषी को 28.05.2020 पर गिरफ्तार किया गया और उन्होंने अपने इन्क्शाप बयान में हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है।

x x x x x x x x

याचिका का विरोध करते हुए, राज्य के वकील, जिन्हें शिकायतकर्ता के वकील द्वारा सहायता दी जा रही है, एस. आई. भगत सिंह के निर्देश पर प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता ने मृतक के सिर पर चोट पहुंचाई और एक खून से सना लकड़ी की छड़ी के साथ-साथ अपराध में इस्तेमाल की गई एक मोटरसाइकिल भी याचिकाकर्ता से बरामद की गई है। उनके निर्देशों के अनुसार, चालान 23.07.2020 को प्रस्तुत किया गया है, 10.03.2021 को आरोप तय किया गया है और अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए मुकदमा 03.06.2021 को रखा गया है, हालांकि अभी तक कोई भी गवाह गवाह बॉक्स में पेश नहीं हुआ है। वह प्रस्तुत करता है कि यदि याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो उसके अपराधियों के संपर्क में आने की संभावना है। प्रतिवादी के अनुसार, याचिकाकर्ताओं की आयु फिर से निर्धारित करने के लिए एक आवेदन निचली अदालत के समक्ष लंबित है।

x x x x x x x x

कानून के साथ टकराव में एक बच्चे को जमानत देना एक नियम है और इसे अस्वीकार करना एक अपवाद है। अधिनियम की खंड 12 में प्रावधान है कि दंड प्रक्रिया संहिता या या उस समय लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, अधिनियम की खंड 12 (1) के प्रावधान में निर्दिष्ट तीन आकस्मिकताओं को छोड़कर, कानून के साथ टकराव में एक बच्चे को जमानत देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। अदालतें इस हद तक मान

चुकी हैं कि न तो अपराध की गंभीरता और न ही यह तथ्य कि सह-दोषियों को अभी तक पकड़ा जाना बाकी है, प्रार्थना को अस्वीकार करने का आधार है। निचली अदालतें कानून की कानूनी स्थिति की सराहना करने में विफल रही हैं, जिसका पालन इस अदालत ने सी. आर. आर.-862-2020 में किया है, जिसका शीर्षक है विशाल बनाम हरियाणा राज्य ने 27.05.2020 और सी. आर. आर.-962-2020 का शीर्षक है संजीव बनाम हरियाणा राज्य ने 02.07.2020 पर फैसला किया।

दलीलों के दौरान, प्रतिवादी न तो किसी सबूत को दिखा पाए और न ही यह समझाने के लिए किसी सबूत का उल्लेख कर पाए कि यदि याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो क्या वह नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे के संपर्क में आएगा या ज्ञात अपराधियों के संपर्क में आएगा। रिकॉर्ड पर बगैर किसी सबूत के न होने पर अभियोजन की महज आशंका जमानत देने की प्रार्थना को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि यदि कोई किशोर दोषी पाया जाता है और दोषी ठहराया जाता है, तो अधिनियम की धारा 18 (1) (एफ) के तहत उसे विशेष गृह में अधिकतम तीन वर्ष की अवधि बिताने का आदेश दिया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने एक साल से अधिक समय तक कारावास में बिताया है, इसलिए याचिकाकर्ता को आगे हिरासत में रखने का कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

उपरोक्त चर्चा के परिणाम स्वरुप, पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार कर लिया जाता है, प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, रोहतक द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.01.2021 के साथ-साथ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रोहतक द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.02.2021 को रद्द कर दिया जाता है।

इस स्तर पर मामले के गुण-दोष को ध्यान में रखे बिना, याचिकाकर्ता को निचली अदालत/ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/न्यायिक मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के लिए उसकी जमानत/मुचलके पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जाता है।

x x x x x x x x "

(11) मौजूदा मुकदमे में, दोनों विवादित आदेशों में, सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट का कोई जिक्र नहीं किया गया है और उक्त रिपोर्ट का उल्लेख किए बिना, निचले न्यायालयों में केवल अनुमानों और अनुमानों के आधार पर यह कहा कि याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करना खतरनाक हो सकता है। उक्त टिप्पणियों से मुक़दमा अधिनियम की खंड 12 के तहत निर्धारित अपवादों के दायरे में नहीं आएगा। इसके अलावा, नीचे दिए गए बोर्ड/न्यायालय दोनों ने निम्नलिखित तथ्यों पर भी विचार नहीं किया है:

अंकित बनाम हरियाणा राज्य
(विकास बहल जे .)

I. याचिकाकर्ता 29.02.2020 के बाद से हिरासत में है, मुक़दमा में चालान 7.9.2020 को पेश किया गया और 27.1.2021 को आरोप तय किये गये।

II. जिनमें 27 गवाह हैं, जिनमें से किसी से भी पूछताछ नहीं की गई है। इसलिए, मुकदमे को समाप्त होने में समय लगने की संभावना है।

III. याचिकाकर्ता को किसी भी प्रत्यक्ष कार्य के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है और वास्तव में याचिकाकर्ता का नाम भी एफ.आई.आर में नहीं था।

IV. याचिकाकर्ता को सह-दोषी संजीव द्वारा दिए गए कथित इन्क्शाफ बयान के आधार पर दोषी बनाया गया है।

V. याचिकाकर्ता किसी अन्य मामले में शामिल नहीं है।

(12) तदनुसार, वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण याचिका की अनुमति दी जाती है और बोर्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 7.9.2020 के साथ-साथ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नारनौल द्वारा पारित आदेश दिनांक 7.10.2020 को रद्द कर दिया जाता है और याचिकाकर्ता को संबंधित निचली अदालत/ड्यूटी मजिस्ट्रेट/इलाखा मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर उसकी जमानत/ मुचलके के अधीन जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है और बशर्ते कि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता न हो।

(13) हालांकि, ऊपर बताई गई किसी भी बात को मामले के गुण-दोष पर राय की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा और मुकदमा वर्तमान मामले में की गई टिप्पणियों से स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ेगा।

(14) चूंकि मुख्य याचिका पर निर्णय ले लिया गया है, यदि कोई विविध आवेदन लंबित है, का भी निपटारा कर दिया जाता है।

तेजिंदरबीर सिंह

अस्वीकरण :– स्थानीय भाषा में अनुवादी निर्णय वादी के सिमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भासा में समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है।सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उदेश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यावयन के उद्देश्य के लिए उपुक्त रहेगा।.

पूनम कुमारी